

# डिफ़ी मुकदमा इस्तदाई

(जो 20 सन 0-7 ज़ाका दीवानी)

जज अदालत-न्यायालय सहायक कमिश्नर (फास्ट-ट्रैक) बाँदीकुई मुकाम-बाँदीकुई  
 जज इजलास- चान्डीगढ़ राज्याज आर ए एन सहायक कमिश्नर (फास्ट-ट्रैक) बाँदीकुई  
 एनदान- सुतीस बचन दिनेस

राज सकारण एवं स्थायी निवेद्याज्ञ

मु.न 115/2019 न्यायालय हाजा में दर्ज संख्या 81/2022

आदेश है कि राट घाटी राज सकारण एवं स्थायी निवेद्याज्ञ का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिफ़ी किया जाता है। तहसीलदार बाँदीकुई को आदेश दिये जाते हैं कि राजस गवि मोटूका भूमि काता खाता संख्या नम 245 पुराना 42 के आराजी खसत नम्बर 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 237, 238, 239, 240 कुल कित्त 14 कुल एकता 2.29 है खाता संख्या 41 के आराजी ख न 173, 178 कुल कित्त 2 एकता 0.70 है खाता संख्या 42 के आराजी ख न 172, 179, 99 कुल कित्त 03 कुल एकता 0.12 है ये तहसीलदार बाँदीकुई से प्राप्त विनाजन प्रस्ताव/कुरैजात अनुसार राजस रिकार्ड में अमलदशमद करे तहसीलदार बाँदीकुई से प्राप्त कुरैजात उक्त आदेश का मान रहेगा। प्रतिपादीगन को स्थायी निवेद्याज्ञ से वाकन्द किया जाता है कि घाटी के हिस्से में जायी भूमि पर धरम्यान उत्पन्न नहीं करे। तहरीर एक पर्थ डिफ़ी जवरी होकर प्रकरण राट तकनीस दाखिल दफ़तर हो।

निज मुकलिन बाबत सर्वा  
 इस मुकदमे के मय सुद नसरह 0 फीसदी सलाना जाज की तारीख से तारीख अदायगी तक 0 का अदा करे। बसबा धरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 मइ 04 सन् 2022 को जवरी की गई।

*(Handwritten Signature)*  
 (चान्डीगढ़ राज्याज)  
 सहायक कमिश्नर (फास्ट-ट्रैक)  
 सहायक कुरैजात (फास्ट ट्रैक)  
 बाँदीकुई

मुर्दा	समई	दिने	मुकदमा	समई	दिने
सदाम अजी राज सकारण सकारण नम सकारण राज समूह सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण	मिन	मिन	सदाम अजी राज सकारण अजी सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण सकारण	मिन	मिन

*(Handwritten Signature)*  
 सहायक कुरैजात (फास्ट ट्रैक)  
 बाँदीकुई

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई

मु.न. 115/2019

न्यायालय हाजा मे दर्ज संख्या 81/2022

निर्णय दिनांक 20-4-2028

## उपदान

1. सुशीला पत्नी शान्तिलाल
2. महेश पुत्र शान्तिलाल जाति जोगी निवासी भोदूका तहसील बांदीकुई जिला दीसा।  
वादीगण-:

## बनाम


- 1- दिनेश पुत्र मूलचन्द
- 2- गिराज पुत्र मूलचन्द
- 3- बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
- 4- कमणी पत्नी रामस्वरूप
- 5- शिवसहरी पुत्र हरबक्स
- 6- शिवलाल पुत्र रामस्वरूप
- 7- सूरज पुत्र हरबक्स
- 8- हुकम चन्द पुत्र रामस्वरूप
- 9- विमला पत्नी मूलचन्द
- 10- छोटी पुत्री मूलचन्द
- 11- भौरी पुत्री मूलचन्द
- 12- अशोकसिंह पुत्र भगवानसिंह
- 13- जगदीश पुत्र भगवानसिंह
- 14- सुरेश सिंह पुत्र भगवानसिंह
- 15- विजेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह
- 16- रमेश सिंह पुत्र भगवानसिंह
- 17- रामकिशन

समस्त जाति जोगी निवासी भोदूका तहसील बांदीकुई

समस्त जाति राजपूत निवासी भोदूका

- 18- बाबूलाल पुत्रान पुत्रान रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी
- 19- लक्ष्मण भोदूका
- 20- यूको बैंक बडियाल कलां जरिये व्यवस्थापक यूको बैंक बडियाल कलां
- 21- राजस्थान मस्यरा घामीण बैंक शाखा सोटवाडा जरिये व्यवस्थापक।
- 22- श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बसवा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दीसा।
- 23- उपपंजीयक अधिकारी बडियाल कलां तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दीसा।

प्रतिवादीगण-:

  
 राजेश कुमार (फास्ट ट्रेक)  
 कलक्टर

उपस्थित- वादी अधिवक्ता श्री अमर सिंह एडवोकेट

दादा तकारमा एवं स्थायी निवेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 20.04.2028

वाद प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश पुत्र मूलधन्द जाति जोगी निवासी ग्राम मोटुका तहसील बसवा जिला दीसा हात निवासी जिरौता सुई गोरखनाथ आश्रम जिला दीसा द्वारा दादा तकारमा एवं स्थायी निवेधाज्ञा का जर्ज शकील न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उपसहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजि में स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुआ जिराका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है। ग्राम मोटुका तहसील बसवा जिला दीसा के खाता सं. नया 42 पुराना 40 के खन 177 रकबा 0.03 हैक्टे. खन 178 रकबा 0.02 ख न 179 रकबा 0.03 है. खसरा नम्बर 180 रकबा 0.50 है. खसरा नम्बर 181 रकबा 0.03 है. खसरा नम्बर 183 रकबा 0.21 है. खसरा नम्बर 184 रकबा 0.03 हैक्टे. खन 185 रकबा 0.05 हैक्टे. खन 187 रकबा 0.04 हैक्टे. खन 188 रकबा 0.24 हैक्टे. खन 189 रकबा 0.05 हैक्टे. खन 237 रकबा 0.40 हैक्टे. खन 238 रकबा 0.08 हैक्टे. खन 239 रकबा 0.27 हैक्टे. खन 240 रकबा 0.35 हैक्टे. खन 739 रकबा 0.01 हैक्टे. खन 89 रकबा 0.09 हैक्टे. कुल जिला 17 कुल रकबा 2.41 हैक्टे स्थित है व खाता सं. नया 40 पुराना 41 के खन 722 रकबा 0.05 हैक्टे खन 723 रकबा 0.34 हैक्टे. खन 724 रकबा 0.07 हैक्टे. खन 739/729 रकबा 0.80 हैक्टे. खन 740 रकबा 0.81 हैक्टे कुल जिला 5 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर बाके रामा मोटुका तहसील बसवा जिला दीसा में स्थित है तथा खाता सं. नया 41 पुराना 39 के खसरा न. 175 रकबा 0.33 हैक्टे. 176 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल जिला 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर बाके रामा मोटुका तहसील बसवा जिला दीसा में स्थित है। वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का खाता संख्या नया 42 में 730वा हिस्सा व खाता संख्या नया 41 में 4/25वा हिस्सा तथा खाता संख्या नया 40 में वादी का हिस्सा 1/8 प्रभावदी संवत् 2072 लगायत 2078 खातेदारी में दर्ज है। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि मुतदाविया का सरस नरस के अनुसार विधिवत रूप से तकारमा कराने की कही, तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये और वादी को एसानियां धमकी दी कि हम उक्त भूमि का तकारमा नहीं होने देंगे। जब तक भूमि मुतदाविया का विधिवत तकारमा नहीं हो जाता, तब तक व्यकारान में आवे दिन विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादपत्रा भूमि का तकारमा किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी 19 व 20 की ओर से काउन्टर वाद पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण की तलबी वादी द्वारा नहीं करवाई गई प्रकरण दिनांक 5.07.2023 को अदम पैरवी में खारिज किया गया प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 19 सुरीला देवी तथा प्रतिवादी संख्या 20 महेश पुत्र शान्तिलास का काउन्टर वाद होने के कारण प्रतिवादी संख्या 19 व 20 को वादी संख्या 1,2 बनाया गया काउन्टर वाद निम्न प्रकार पेश किया गया काउन्टर वाद प्रतिवादी सं. 19 व 20 की ओर से निम्न लिखित प्रस्तुत है। वाद पत्र का पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि मुताबिक राजस्व

अमर सिंह  
उपसहायक जेजे (घाट ट्रेक)  
बांदीकुई

रिजार्ड स्वीकार है। वाद पत्र का पैरा नं. 02 में वादी का हिस्सा मुत्तदाबिका जमाबन्दी अनिलेखीय है बाकी कथन कताई गलत है। मिन प्रतिवादीगण भूमि मुत्तदाबिया का तकारम्य कराने को तैयार है। वाद पत्र का पैरा नं. 03 जिस प्रकार वर्णित स्वीकार नहीं है। वादी व मिन प्रतिवादीगण व अन्य प्रतिवादीगण मुत्तदाबिक बहामी बंटवारा काबिज कारत है तथा उसी अनुसार मिन प्रतिवादी का अपने पिताप्यति शान्तिलाल के समय से खसरा नं. 180 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते घले आ रहे है। वाद पत्र का पैरा नं. 04 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 05 कानूनी है जवाब मोहताज नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 06 कानूनी है जवाब मोहताज नहीं है। इस्तदुआ का पैरा सं. अ स्वीकार है बाकी इस्तदुआ अस्वीकार है। प्रतिवाद पत्र ग्राम भोटुका तहसील बरावा जिला दीरा में भूमि कारत खाता सं. 245 नया पुराना 42 के आराजी खसरा नं. 177 रकबा 0.03 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 179 रकबा 0.03 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 180 रकबा 0.50 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 181 रकबा 0.03 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 183 रकबा 0.21 हैक्टे, बरानी ए. खसरा नं. 184 रकबा 0.03 हैक्टे, बरानी ए. खसरा नं. 185 रकबा 0.05 हैक्टे, बरानी ए. खसरा नं. 187 रकबा 0.04 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 188 रकबा 0.24 हैक्टे, बरानी ए. खसरा नं. 189 रकबा 0.05 हैक्टे, बरानी ए. खसरा नं. 237 रकबा 0.40 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 237 रकबा 0.40 हैक्टे, जाव ए. खसरा नं. 238 रकबा 0.08 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 239 रकबा 0.27 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 240 रकबा 0.35 हैक्टे, घाही ए. जाव ए. कुल किरा 14 कुल रकबा 2.29 हैक्टेपर एवं खाता सं. नया 41 पुराना 39 के आराजी खसरा नं. 175 रकबा 0.33 हैक्टे, घाही ए. खसरा नं. 176 रकबा 0.37 हैक्टे, घाही ए. कुल किरा 02 कुल रकबा 0.70 हैक्टेपर जिसमें खाता सं. 42 में मिन प्रतिवादी सुरीला की पुत्रियां आरती, ज्योति, नेहा का सम्भितित हिस्सा 149 एवं खाता सं. 41 में वर्णित भूमि में मिन प्रतिवादी के पिताप्यति शान्तिलाल पुत्र हरबक्स का हिस्सा 111315 का इन्द्राज हो रहा है। नऊल जमाबन्दी संवत् 2073-78 व नवरा पैरा है। शान्ति लाल पुत्र हरबक्स की दिनांक 22.02.2018 को मृत्यु हो चुकी है। जिसके मिन प्रतिवादी सुरीला, शान्तिलाल की पत्नी है एवं प्रतिवादी महेश पुत्र है तथा आरती, ज्योति व नेहा पुत्रियां है तथा शान्ति लाल के हिस्से पर मुत्तदाबिक बहामी बंटवारा खसरा नं. 180 पर काबिज कारत है तथा उसी अनुसार उपयोग उपभोग करते घले आ रहे है। काउन्टर वाद के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य बहामी बंटवारा होकर पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज कारत है तथा मुत्तदाबिक बहामी बंटवारा भीके अनुसार पक्षकारान में रास्ता व आवागमन के अनुसार सरस-नरस बंटवारा कर मिन प्रतिवादीगण को अपने हिस्से का पृथक से पर्षा बनाकर तथा लगान का बंटवारा करवाया जावे। काउन्टर वाद के लिए राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत दो रूपये कोर्ट फीस पर पैरा है। मिन प्रतिवादीगण को अपने खाते का विधिक बंटवारा करवाने हेतु तथा वादी द्वारा अदालत हाजा के सम्प्र वाद पत्र प्रस्तुत करने से तथा प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने से प्रतिवादी को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। भूमि मुत्तदाबिया व पक्षकारान न्यायालय क्षेत्र के होने से अदालत हाजा को काउन्टर वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। जवाब दावा मय काउन्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर वाद ठिकी फरमाया जावे। प्रकरण में तलबी पक्षकारान की तलबी की गई पक्षकारान उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया वादी संख्या 1 सुरीला की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिरह हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने पर वादी से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर दिया गया प्रतिवादीगण की ओर साक्ष्य पेश

अवे-

सहायक जजेक्टर (घास्ट ट्रेक)  
बांभू

नहीं होने पर प्रकरण बहस पर नियत किया गया बहस के दौरान वादी अधिवादा का तर्क रहा है कि मिन प्रतिवादी सुरीला की पुत्रियाँ आरती, ज्योति, नेहा का सम्मिलित हिस्सा 119 एवं खाता सं. 41 में वर्णित भूमि में मिन प्रतिवादी के पितामही शान्तिनाथ पुत्र हरबक्स का हिस्सा 11/315 का इन्दाज हो रहा है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073-78 व नवरा पेश है। शान्तिनाथ पुत्र हरबक्स की दिनांक 22.02.2018 को मृत्यु हो चुकी है। जिसके मिन प्रतिवादी सुरीला, शान्तिनाथ की पत्नी है एवं प्रतिवादी महेश पुत्र है तथा आरती, ज्योति व नेहा पुत्रियाँ हैं तथा शान्तिनाथ के हिस्से पर मुताबिक बहामी बंटवारा खसरा नं. 180 पर काबिज कारत है तथा उसी अनुसार उपयोग उपयोग करते चले आ रहे हैं। काउन्टर वाद के पेश 1 में वर्णित भूमि का सरस-नरस तकारमा किया जाये।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में 28.08.2025 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार बांदीकुई से कुर्रजात मिजवाये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक /2026/74 दिनांक 18.3.2026 के द्वारा न्यायालय हाजा में कुर्रजात मिजवाये गये बहस कुर्रजात सुनी गई प्राप्त कुर्रजात पर कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। प्राप्त कुर्रजात का अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रजात दिखियत बरुये राजस्व रिकार्ड बनाया जाना प्रतीत होता है। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रजात स्वीकार किये जाकर वाद को अंतिम डिकी किया जाकर निम्न प्रकार पक्षकारान का विभाजन किया जाता है-

क्र.सं.	प्रस्तावित अधिवादि	ख.न.	रकबा	किस्म	समान
1	1. गिराज पुत्र मूलचन्द हि. 63/380 जाति जोगी सा. देह खातेदार	175	0.33 है.	घाटी ए	
		176	0.37 है	घाटी ए	
	2. छोटी पुत्री मूलचन्द हि. 77/1520 जाति जोगी सा. देह खातेदार 3. दिनेश पुत्र मूलचन्द हि. 63/380 जाति जोगी सा. देह खातेदार 4. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल हि. 21/304 जाति जोगी सा. देह खातेदार 5. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल हि. 3/38 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन यूको बैक शाखा बडियालकला 6. भीती पुत्री मूलचन्द हि. 77/1520 जाति जोगी सा. देह खातेदार 7. रुकमणी पत्नि रामस्वरुप हि. 7/304 जाति जोगी सा. देह खातेदार 8. रामकिशन पुत्र रामजीलाल हि. 3/38 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन यूको बैक शाखा बडियाल कला 9. लक्ष्मण पुत्र रामजीलाल हि. 3/38 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन यूको बैक शाखा बडियाल कला 10. विमला पुत्री मूलचन्द हि. 77/1520 जाति जोगी सा. खातेदार 11. शिम्भू पुत्र रामजीलाल हि. 21/304 जाति जोगी सा. देह खातेदार	क्र.सं. 2	0.70		37.10

अध्यायक


सहायक कलेक्टर (फाट ट्रेड)  
बांदीकुई

	12 शिवलहरी पुत्र हरबक्स हि. 11/304 जाति जोगी सा. देह खातेदार 13 शिवलाल पुत्र रामस्वरूप हि. 7/304 जाति जोगी सा. देह खातेदार 14 सुरज पुत्र हरबक्स हि. 11/304 जाति जोगी सा. देह खातेदार 15 हुकम चन्द पुत्र रामस्वरूप हि. 7/304 जाति जोगी सा. देह खातेदार				
2	आरती पुत्री शान्ति लाल हि. 1/45 जाति जोगी सा. देह खातेदार 2 गिराज पुत्र मूलचन्द हि. 7/30 जाति जोगी सा. देह खातेदार 3 ज्योति पुत्री शान्ति लाल हिस्सा 1/45 जाति जोगी सा. देह खातेदार 4 दिनेश पुत्र मूलचन्द हिस्सा 7/30 जाति जोगी सा. देह खातेदार 5 नेहा पुत्री शान्ति लाल हि. 1/45 जाति जोगी सा. देह खातेदार 6 बाबूलाल पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/15 जाति जोगी सा. देह खातेदार 7 महेश पुत्र शान्ति लाल हि. 1/45 8 रुकमणी पत्नि रामस्वरूप हिस्सा 1/45 जाति जोगी सा. देह खातेदार 9 शिम्भू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/15 जाति जोगी सा. देह खातेदार 10 शिवलहरी पुत्र हरबक्स हिस्सा 1/9 जाति जोगी सा. देह खातेदार 11 शिवलाल पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/45 जाति जोगी सा. देह खातेदार 12 सुरज पुत्र हरबक्स हिस्सा 1/9 जाति जोगी सा. देह खातेदार 13 सुशीला देवी पत्नि शान्तिलाल हिस्सा 1/45 जाति जोगी सा. देह खातेदार 14 हुकम चन्द पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/45 जाति जोगी सा. देह खातेदार	179	0.02	गैशु घाट	
		738	0.01	गैशु घाट	
		99	0.09	गैशु घाट	
		किस्त 3	0.12	-	-
3	1 महेश पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 21/28	180 हि	0.28	घाटी ए	

अथ -  
सहायक कलेक्टर (घाट ट्रैक)  
बोधपुर

	जाति जोगी सा देह खातेदार 2 सुशीला देवी पत्नी स्व शान्ति सात हिस्सा 5/28 जाति जोगी सा देह खातेदार	क्र.सं 1	0.28		
4	गिराज पुत्र मूलचन्द हि. 21/80 जाति जोगी सा देह खातेदार सहिन युको बैक शाखा बढियाल कला 2 दिनेश पुत्र मूलचन्द हि. 21/80 जाति जोगी सा देह खातेदार 3 बाबूसात पुत्र रामजीसात हि. 3/40 जाति जोगी सा देह खातेदार 4 रुकमणी पत्नि रामवरुप हि. 1/40 जाति जोगी सा देह खातेदार 5 रामदुलारी पत्नि गिराज प्रसाद हि. 189/918 जाति जोगी सा देह खातेदार 6 शिम्भू पुत्र रामजीसात हि. 3/40 जाति जोगी सा देह खातेदार 7 शिवलहरी पुत्र हरबरसा हि. 5/229 जाति जोगी सा देह खातेदार 8 शिवसात पुत्र रामवरुप हि. 1/40 जाति जोगी सा देह खातेदार 9 सुरज पुत्र हरबरसा हि. 5/229 जाति जोगी सा देह खातेदार 10 हुकम चन्द पुत्र रामवरुप हि. 1/40 जाति जोगी सा देह खातेदार	177 179 180 181 183 184 185 187 188 189 237 238 239 240	0.00 0.03 0.24 0.03 0.21 0.03 0.03 0.04 0.24 0.08 0.40 0.08 0.27 0.35		भाई ए
		क्र.सं 14	2.03		

तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक /भूअ/2028/1817 दिनांक 23.03.2028 द्वारा प्राप्त फुरैजात उक्त आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादीगण को स्थायी नियेधाशा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी भूमि पर व्यवधान उत्पन्न नही करे। अंतीम पर्चा डिकी जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 20.04.2028 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (सम्पत्ति राजस्व)  
 सहायक कमिश्नर (फास्ट-ट्रेक)  
 बांदीकुई